



Neutral Citation:-AHC:45591

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-6010/2026

किशोर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जय प्रकाश त्रिपाठी, राधेश्याम यादव, रंजीत प्रजापति

प्रतिवादीओं के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या- 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही की शुरुआत याचिकाकर्ता के विरुद्ध लेखपाल द्वारा 23.07.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर की गई थी, जिसे 2018 के मामला संख्या 02362, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी201815090702362 के रूप में पंजीकृत किया गया था ।

प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, तहसील बेलथरा रोड, जिला बलिया द्वारा दिनांक 27.10.2023 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गई । उपर्युक्त द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के अंतर्गत उपरोक्त वैधानिक अपील से व्यथित, दायर की गई थी जिसे 2025 के मामला संख्या 1327, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या 0202515090001327 के रूप में पंजीकृत किया गया था । उक्त अपील को जिला मजिस्ट्रेट बलिया ने 29.11.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया ।

3. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित कर दिया गया है ।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह उठाया गया है कि उपरोक्त आदेश ऋषिपाल सिंह के मामले में पारित परिच्छेद-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य ने 2023 में रिपोर्ट की (1) एडीजे 154 इसलिए इसे अलग रखा जा सकता है ।

5. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है ।

6. इसे देखते हुए, 2018 के मामला संख्या 02362 में प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, तहसील बेलथरा रोड, जिला बलिया द्वारा पारित दिनांक 27.10.2023 के आदेश के बाद से, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी201815090702362 और साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मामला संख्या 1327, 2025 में पारित दिनांक 29.11.2025 का आदेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या 0202515090001327 **ऋषिपाल सिंह (पूर्वोक्त)** के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया। इन्हें निरस्त किया जा सकता है ।

7. रिट याचिका को **स्वीकृत** किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

8. प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, तहसील बेलथरा रोड, जिला बलिया को ऋषिपाल सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में दिनांक 02.12.2022 के निर्णय और आदेश के परिच्छेद-74 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः **चार महीने की अवधि** के भीतर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(माननीय प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी 2026

स्वाति